राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बांकली

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, **RAS**

राजस्व वाद सं. 37/2010
दायरा तिथि 18.06.2010
निर्णय तिथि 27.06.2016

वादीगण– **बनामः**

1–स्व.वचनी पुत्री चमनाजी के का.मु.–
1/1–पुखराज पुत्र वचनी पुत्री चमनाजी
1/2–सुआ पुत्री वचनी पुत्री चमनाजी
1/3–कमला पुत्री वचनी पुत्री चमनाजी
1/4–लीला पुत्री वचनी पुत्री चमनाजी
जातिगण गुरू निवासीगण काम्बा
तहसील आहोर, जिला जालोर
2–मेती पुत्री चमनाजी, जाति गुरू
निवासीगण बांकली, तहसील सुमेरपुर

प्रतिवादीगण–

1–वचनाराम पुत्र प्रतापजी
जाति गुरू निवासी बांकली
2–स्व.जोनी पुत्री मनाजी पत्नी
कपूरजी के का.मु.–
2/1–हकमाराम पुत्र कपूरजी
2/2–सुखदेव पुत्र कपूरजी
2/3–खंगाराराम पुत्र कपूरजी
2/4–अर्जुन पुत्र कपूरजी
2/5– राजू पुत्र कपूरजी
2/6–मदन पुत्र कपूरजी
2/7–तलसी पुत्री कपूरजी
2/8–पवनी पुत्री कपूरजी
2/9–पुरी पुत्री कपूरजी
जातिगण गुरू निवासीगण
जोगापुरा तहसील शिवगंज
3–राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 27.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बांकली में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से पक्षकारान की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन एवं परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के विस्तृत कथन व तथ्य अभिव्यक्त करते हुए प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1223 रकबा 3.90 हेक्टर किस्म बारानी सोयम वादीगण व प्रतिवादी सं.02 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की आयी हुई है, परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी स.01 ने अपने नाम गैरकानूनी रूप से खातेदारी दर्ज करवा दी है इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वादीगण व प्रतिवादी सं.02 को बहिस्सा बराबर–2 का प्रतिवादी सं.01 के विरूद्ध खातेदार घोषित करने व वादीगण व प्रतिवादी सं.02 की उक्त खातेदारी वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि को प्रतिवादी सं.01 जबरदस्ती होल्ड कर रखता है तो प्रतिवर्ष रूपये 12000/– बतौर मिन्स प्रोफिट के लिये आदेश प्रदान करने एवं वादीगण व प्रतिवादी सं.02 की उक्त खातेदारी वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि में प्रतिवादी सं.01 स्वयं या कोई भी उनका प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी पैदा नहीं करे, इस अमर की

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निर्णय/डिक्री बहक वादीगण व प्रतिवादी सं.02 विरूद्ध प्रतिवादी सं.01 के जारी फरमावे। वादीगण ने वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः मिसल बंदोबस्त संवत् 2037–56, नामान्तरकरण सं. 943, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद सं. 52/2004 वचनाराम बनामः राज.सरकार में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.11.2006 मय संबंधित वादपत्र की छाया–प्रतिया इत्यादि पेश की है।

(2) कि वादी का कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं. 01 ने जवाबदावा पेश कर वाद तथ्यों को नकारते हुए मुख्यतः जाहिर किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बांकली के हाल खसरा नं. 1223 रकबा 3.90 हेक्टर पूर्व में चमना पुत्र चेनाजी जाति गुरू निवासी बांकली के स्वामित्व की खातेदारी रही है, चमनाजी ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी सं.01 के पुत्र घीसूलाल को गोद लिया था, चमनाजी की मृत्यु बाद उक्त खातेदारी कृषि भूमि धनी पत्नी चमनाजी व घीसूलाल गोदपुत्र चमनाजी के नाम दर्ज हुई। घीसूलाल का लाऔलाद स्वर्गवास दिनांक 15.12. 1996 को होने से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि धनी पत्नी चमनाजी के नाम दर्ज हुई। चमनाजी के वारिसान धनी व घीसूलाल एवं प्रतिवादी सं.01 का संयुक्त परिवार होने से वादग्रस्त कृषि भूमि पर हम सभी का संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। श्रीमती धनी पत्नी चमनाजी का स्वर्गवास दिनांक 11.10.1999 को हुआ तथा श्रीमती धनी ने अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि दिनांक 12.09.1997 को प्रतिवादी सं.01 के पक्ष में वसीयत कर दी थी जिसके आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद सं. 52/2004 बअनवान–वचनाराम बनामः राज. सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट,1955 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.11.2006 के अनुसार उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार स्व.घीसूलाल व स्व.धनी का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित कर प्रतिवादी सं.01 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके पर प्रतिवादी सं.01 का ही बतौर स्वामित्व खातेदार के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, वादीगण व प्रतिवादी सं.02 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसलिए वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह वादपत्र पेश किया है जिसे सव्यय खारिज फरमावे।

पत्रावली की आदेश तालिका दिनांक 23.03.2015 के अनुसार वादीनी सं.02 मेती ने कथित वादपत्र को विड्रोवल किया है। वादीनी सं.01 स्व.वचनी का देहान्त हो जाने पर उनके कायम मुकाम व वारिसान को रेकर्ड पर संस्थापित किया गया। प्रतिवादी सं. 02स्व.जोनी पुत्री चमनाजी के कामय मुकाम व वारिसान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में प्रतिवादी सं.01 के अधिवक्ता ने प्रश्नगत् मामले में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पूर्व में श्रीमान न्यायालय द्वारा राजस्व वाद सं. 52/2004 बअनवान–वचनाराम बनामः राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट,1955 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.11.2006 के अन्तर्गत वादीनी द्वारा दिए गये सहमति शपथ पत्र प्रदर्श–11ए व 12ए के आधार पर प्रतिवादी सं.01 को खातेदार घोषित किया है जिस निर्णय/डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील इत्यादि पेश नहीं की गई है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र रेसज्युडिकेटा सिद्धान्त के अधीन आने से यह वादपत्र कानूनन चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज फरमावे।

(3) कि तद्परान्त हमने, लोक अदालत की भावना से प्रश्नगत् मामले में वादपत्र व प्रतिवादपत्र में उल्लेखित कथनों व तथ्यों एवं साक्ष्य–दस्तावेजों तथा प्रतिवादी सं.01 के अधिवक्ता के प्रश्नगत् एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. के संदर्भ में विधिक विचारण करने के पश्चात् हमने पाया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पूर्व में इस

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा राजस्व वाद सं. 52/2004 बअनवान–वचनाराम बनामः राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट,1955 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.11.2006 के अन्तर्गत वादीनी द्वारा दिए गये सहमति शपथ पत्र प्रदर्श–11ए व 12ए के आधार पर प्रतिवादी सं.01 को बतौर खातेदार घोषित किया जा चुका है व उक्त निर्णय/डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार से अपील इत्यादि पेश नहीं की गई है। इसलिए हमारे विधिक विचारों में वादीगण का यह पश्चात्वर्ती वाद रेसज्युडिकेटा सिद्धान्त के अधीन आने से इस न्यायालय में विधि अनुरूप प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1223 रकबा 3.90 हेक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि के बारे में कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु रेस–ज्युडिकेटा सिद्धान्त के अधीन आने से विधि अनुसार पश्चातवर्ती यह वाद प्रथमतः इस न्यायालय में चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुतिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 27.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बांकली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner